

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 53/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.02.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कोतवाली: चोरी गये रुपये के साथ दो अभियुक्ता गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 09.02.2025 को वादी मुकदमा राजमणि यादव पुत्र चन्द्रबली यादव ग्राम भाऊपुर पोस्ट पिपरी थाना महाराजगंज आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी की दिनांक 08/02/2025 को मै और मेरी बहन (मन्जू यादव) सीटी कार्ट माल V2 में खरीदारी करने के बाद कैश काउंटर पर पैसा दे रहे थे कि माल में दो औरते अपने बच्चो के साथ माल में आयी और मेरी बहन का पर्स निकाल कर ले गयी जिसमें कुल लगभग 1500 रू० थे यह हम लोगो ने सीटी कार्ट V2 माल में सी सी टी. वी. देखने के बाद जानकारी हुई कि वे औरते मेरी बहन के पर्स को थैले से लेजाकर उससे पैसे निकाल लिए है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 73/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 10.02.2025 म०उ०नि० स्मिता गुप्ता, उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद पटेल, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्ता आरती पत्नी झन्नी निवासी छतवारा परती पर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष, मनीषा पत्नी रामलखन निवासी छतवारा परती पर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को समय 11.30 बजे पहाड़पुर गौशाला के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा कब्जे से चोरी का 1500 रूपया बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा० न्यायालय किया गया।



02.थाना- बरदह: दुकानो का ताला तोड़कर चोरी करने वाला अभियुक्त चोरी के रुपये के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 24.01.25 को वादी मुकदमा महेश यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी बागपुर थाना बरदह जिला- आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक- 23/24.1.25 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा मुक्तिपुर बाजार में स्थित बीज भंडार की दुकान का सटर तोड़कर काउण्टर की लाँकर से नगदी 55000 रु तथा वहीं के दुकानदार अखिलेश पुत्र सुबास निवासी बेलवाना की दुकान का सटर तोड़कर नगदी 18,000 रु तथा विजय प्रताप सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी लसड़ा खुर्द के किराना के दुकान व बीज भण्डार से नगदी 10,000 रु और धर्मेन्द्र पुत्र रज्जू(गौतम डेण्टल केयर) की दुकान से नगदी 60,000 रु तथा ललित राजभर पुत्र रामआसरे की दुकान का सटर तोड़कर नगदी 10,000 रु व पायल निवासी नरवे, और धीरज बिन्द पुत्र जियालाल बिन्द निवासी खम्हौली 70,000रु नगद और सुधीर प्रजापति पुत्र रमेश प्रजापति निवासी मुक्तिपुर की दुकान से 37000रु तथा विनोद सिंह पुत्र सुबेदार सिंह की दुकान से नगदी 4000 रु चुरा लिया गया है, उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान अभियुक्त 1. मक्खन पुत्र इरशाद सा0 उसरी खुर्रमपुर थाना बरदह आजमगढ़ 2. पवन S/O विजय सा0 कोहरौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3. फैसल पुत्र अतिकुर्हमान ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 10.02.25 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त मक्खन पुत्र इरशाद सा0 उसरी खुर्रमपुर थाना बरदह आजमगढ़ को चौकी मोड़ बहद ग्राम चौकी थाना बरदह, आजमगढ़ से समय 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल 4420/- रुपये बरामद किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0139/20 धारा 380/457/411 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0स0 143/20 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0स0144/20 धारा 398/401 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
4. मु0अ0स0 31/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़
5. मु0अ0स0 5/22 धारा 3(1) गुण्डा गर्दी अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 69/23 धारा 8/20 NDPS Act थाना बरदह, आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 270/22 धारा 307/504/506 भादवि व 7/27(2) आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 353/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 162/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 20/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 231/18 धारा 411/413/414/467/468/471 भादवि थाना सराय ख्वाजा जनपुद जौनपुर



थाना - टाटा
जनपद - आजमगढ़

टाटा-10
थाना, बरदह अपराधियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

राजीव कुमार सिंह
थाना टाटा

03 थाना अतरौलिया: गैगेस्टर एक्ट में वाछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण- दिनांक 30.01.2025 को तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/25 धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि0 अधि0 1986 बनाम अभियुक्तगण 1. अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह निवासी मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. संदीप पुत्र रामकेवल निवासी मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह निवासी मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ है। इस गैंग के द्वारा चोरी जैसे जघन्य अपराध अपराध कारित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 10.02.2025 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वाछित अभियुक्त संदीप पुत्र रामकेवल नि0गण मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को ग्राम मीरपुर से समय 04.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

संदीप पुत्र रामकेवल नि0गण मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

क्र0	थाना	मुअ0सं0	पंजीकृत धारा	आरोप पत्र व दिनांक
01	अतरौलिया	210/24	379/411/413 भादवि	A-161/दि 240 15.07.24
02	अतरौलिया	223/24	379/411/भादवि 413	A- 170/24 दि0- 18.07.24
03	अतरौलिया	229/24	379/411/भादवि 413	A -154/दि 240-04.07.24



प्रेस विज्ञप्ति

उप-निरीक्षक से पदोन्नत होकर बने निरीक्षक को पुलिस अधीक्षक ने स्टार लगाकर दी बधाई।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप जनपद आजमगढ़ के पुलिस उप-निरीक्षक जयप्रकाश सीसीटीएनएस कार्यालय आजमगढ़ को पुलिस निरीक्षक सीसीटीएनएस कार्यालय आजमगढ़ के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में आज दिनांक- 10.02.2025 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में उप-निरीक्षक (सीसीटीएनएस कार्यालय) जयप्रकाश के कंधों पर तीन स्टार लगाकर बधाई दी गयी।

